न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : गुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या पुराना 37/2011 नया न0 33/2022
वाद दायरी दिनांक :– 14.02.2011

1. हीरासिंह पुत्र भूदाराम जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं। मृतक
1/1 सुशीला देवी पत्नी हीरासिंह जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
1/2 सुरेन्द्र कुमार पुत्र हीरासिंह जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
1/3 बिमला देवी पुत्री हीरासिंह जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
1/4 उर्मिला देवी पुत्री हीरासिंह जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
1/5 सन्तोष देवी पुत्री हीरासिंह जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
1/6 सरोज देवी पुत्री हीरासिंह जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
1/7 सुधीर कुमार पुत्र हीरासिंह जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
1/8 सुमन देवी पुत्री हीरासिंह जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला ुझुनूं।
1/9 शशिकला देवी पुत्री हीरासिंह जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
1/10 सुनिल कुमार पुत्र हीरासिंह जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
2. तुलसी पत्नी सत्यनारायण जाति जाट निवासी फूसकानी तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

वादीगण

बनाम

1. महावीर पुत्र घड़सीराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं मृतक
1/1 सन्तोष पत्नी महावीर जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
1/2 विजयपाल पुत्र महावीर जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
1/3 जितेन्द्र पुत्र महावीर जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
2. रामजस पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
3. शिशराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
4. बनवारी नारायणराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
5. विनोद पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
6. राजेश पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
7. मीरा पुत्री नारायणराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
8. बसन्ती पुत्री नारायणराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
9. विधादेवी पुत्री नारायणराम जाति जाट निवासी गोविन्दपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं
10. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील विसाऊ जिला झुन्झुनूं

दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांकः– 22.05.25

संक्षेप मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यहीक वाके ग्राम फुसकानी तहसील व जिला झुझुनूं में काश्त की भूमि गत ख–न 48 तादादी 20 बीघा 01 विश्वा स्थित है । इस भूमि के अब नये सेटलमेन्ट में नये ख० न व नाप इस प्रकार से बने है। ख.न–97 तादादी 3.50 हैक्टर, ख०न 114 तादादी 1.57 हैक्टर कुल किता 2 कुल तादादी 5.07 हैक्टर इस जमीन के खातेदार काश्तकार पहले घड़ती था उक्त घड़सी का देहान्त हो गया है व उक्त घड़ती का एक मात्र वारिस उसका लड़का महावीर है जो कि इस दावे में प्रतिवादी न. 01 है । घड़ती ने अपनी काश्त की गत ख.न 48 तादादी 20 बीघा 01 विश्वा भूमि वाके ग्राम फुसखानी में से 06 बीघा पुख्ता भूमि

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

का अपनी घरेलू जायज जरूरतो के 12 हजार रूपयाँ में वादी न0 01 हीरासिहं व वादी स.2 के पति व प्रतिवादीस 2 लगायत 9 के पिता नारायणसिहं को बेचान कर दिया था व बेचान की गई भूमि के प्रतिफल के 12 हजार रूपये लेकर के उक्त घड़ती ने जमीन जैर बहस का बयनामा उप पंजीयक झुझुनु के यहाँ पंजीश्रद्ध करवा दिया था जो कि उप पंजीयक के यहाँ पुस्तक स० 01 जिल्द स 75 के पृष्ठ संख्या 299–300 कृ.स. 121 पर दिनाकं 9–3–87 को पंजीवद्ध किया गया है । यह कि बयनामा दिनाक 9–3–87 को उप पंजीयक कार्यालय से डीडराईटर नथमल शर्मा से उक्त घड़सी ने लिखवाकर के उप पंजीयक के यहाँ पेश किया गया व उक्त दिवस ही उप पंजीयक के यहाँ बयनामा पंजीवद्ध कराया गया उक्त बयनामा की प्रतिफल की राशि 12 हजार रूपये उक्त घड़सी ने प्राप्त कर ली व जमीन जैर बहस पर घड़सी ने उक्त वादी न0 01 व नारायण का कब्जा करवा दिया जो आज तक बिना किसी अवरोध के चला आ रहा है। खरीदशुद्वा भूमि की चौहदी इस प्रकार से है– उत्तर– काश्त की जमीन झाबर हरिजन की,दक्षिण काश्त की जमीन नारायणसिहं की, पूर्व काश्त की जमीन खरीदकार हीरासिहं व स्व नारायणसिहं पश्चिम काश्त की शेष जमीन स्व० घड़ती की। उक्त खरीद शुदा जमीन पर वादी व स्व० नारायणसिहं के वारिसान का कब्जा व काश्त खरीद के रोज से लगातार चलाआ रहा है व खरीदशुदा जमीन पर काफी खर्चा लगाकर के जमीन को काश्त के लायक बनाया है । अब नये सेटलमेन्ट में खरीदशुदा जमीन के नये ख.न० 114 तादादी 1.57 हेक्टर हो गये हैं।बयनामा करवाने के वाद जमीन जैर बहस को आपने नाम है राजस्व रिकार्ड में वदलवाने के लिये वादी ने बयनाया की नकल तत्कालीन पटवारी हल्का को देकर के नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिये दे दी थी व पटवारी हल्का ने इस बाबत वादी को बताया था कि इस जमीन का नामान्तरकरण बयनामें के आधार पर आपके नाम मै दर्ज करवा दूंगा। वादी न०1 ने अपनी काश्त की जमीन वर्तमान खन 114 तादादी 1.57 हैक्टर पर सुधार के लिये बैंक से ऋण लेना चाहा तो बैंक वालो ने वादी से चालु जमाबन्दी की नकल मांगी तो वादी ने पटवारी हल्का से जमीन की नकल प्राप्त की जो दिनाकं 4/2/11 को मिली व पटवारी ने बताया कि जमीन आपके नाम दर्ज नही है । जमीन महावीर के नाम है तो वादी ने इस बाबत महावीर से बात की व माहवीर को बयनामा दिखलाया तो महावीर ने कोई स्पष्ट जवाव नही दिया व अव दिनाकं 08.02.2011 को महावीर ने वादी को साफ मनाकर दिया कि रिकार्ड में वह वादी का नाम दर्ज नहीं करायेगा तो वादी ने इस वात गाँव के आदमियाँ को इक्टठा किया तो गाववालों के सामने प्रतिवादी महावीर ने दिनाक 09.02.11 को कहा कि वह इस जमीन को बेचगा व वादी को काश्त नहीं करने देगा व जमीन पर खड़डे खोदकर के नाकाबित काश्त करेगा तो वादी को यह दावा करना पड़ा। वादवादीगण पेशकर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर के घोषणा इस आशय की प्रदान की जावे:–

क – घोषणा इस प्रकार प्रदान की जावे कि भूमि ख.न 114 तादादी 1.57 हैक्टर वाके ग्राम फुसखानी का खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 9 को घोषित फरमायाजावे ।

ख. प्रतिवादी न.1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि जमीन ख० न० 114 तादादी 1.57 हैक्टर पर वादी व प्रतिवादीगण 2 लगायत 9 के कब्जे व काश्त में रूकावट नही डाले ना किसी से डलवाये ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पावन्द किया गया। प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

न0 1/1 लगायत 1/3, 02 लगायत 09 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गई।

वादीगण की ओर से सुरेन्द्र कुमार पुत्र हीरासिंह साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया । जिस पर दस्तावेज प्रर्दश 1. विक्रय पत्र दिनांक 09.03.1987,प्रर्दश –2 जमाबन्दी सम्वत 2067–70, प्रर्दश –3 मिलान क्षेत्र फल प्रदर्शित किये गये।

विद्वान अधिवक्ता की वाद पर सीधे बहस श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर भूमि ख.न 114 तादादी 1.57 हैक्टर वाके ग्राम फुसखानी का खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण 2 लगायत 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

विधि में भूमि के घोषणा के लिये निम्न प्रावधान है :–

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 में घोषणा का प्रावधान किया गया है।

विवेचन

प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी न0 1/1 लगायत 1/3 दादा/ससुर (घड़सी) से पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 09.03.1987 के द्वारा वादीगण संख्या 1/1 लगायत 1/10 के पिता/पति (हीरासिंह) व वादी न0 02 के पति एवं प्रतिवादी न0 02 लगायत 09 पिता (नारायणराम) के द्वारा भूमि क्रय किया जाना दस्तावेज प्रर्दश 01 से साबित है। विक्रय पत्र दिनांक 09.03.1987 के अनुसार 06 भूमि क्रय की है जिसको क्षेत्रफल 1.5175 हेक्टर बनता है। अतः वादी गण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं समस्त तथ्यों, उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । विक्रय पत्र दिनांक 09.03. 1987 के अनुसार भूमि ख.न. 114 रकबा 1.57 हेक्टर में से कयशुदा 06 बीघा यानी 1.5175 हेक्टर भूमि में वादी संख्या 1/1 लगायत 1/10 को 1/2 हिस्से का बराबर तथा वादी न0 02 व प्रतिवादी न0 02 लगायत 09 को 1/2 हिस्से का बराबर काश्त काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05..2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती एव स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिक्री

मुकदमा नम्बर :— राजस्व वाद संख्या पुराना 37/2022 नया खाता संख्या 33/2022
उनवान हीरासिंह बनाम महावीर वगैरह

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 22.05.2025 के द्वारा वाद वादी स्वीकार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । विक्रय पत्र दिनांक 09.03.1987 के अनुसार भूमि ख.न. 114 रकबा 1.57 हेक्टर में से कयशुदा 06 बीघा यानी 1.5175 हेक्टर भूमि में वादी संख्या 1/1 लगायत 1/10 को 1/2 हिस्से का बराबर तथा वादी न0 02 व प्रतिवादी न0 02 लगायत 09 को 1/2 हिस्से का बराबर काश्त काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार मिसल दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
उपखण्ड अधिकारी